

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री कालिया पिता श्री धुलिया बनाम स्व. श्री कुरिया पिता वेलिया बलाई
बलाई निवासी जौलाना तह0 की वारिस पुत्री :-
गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज0) श्रीमती केसर पुत्री स्व. कुरिया बलाई
(पत्नी श्री अमर उर्फ अमरजी)
निवासी जौलाना तहसील गढ़ी जिला
बांसवाड़ा (राज0)

अपील नं0 12/2017 बनाराजगी डिगरी अदालत.....उपखण्ड अधिकारी
..... गढ़ी..... मुकाम मुखर्षे.....20.....माह.....12.....2011

दावा बाबत

यह अपील व तारीख24..... माह01..... सन् 2018 रूबरू.....
पक्षकारान व हाजरीश्री राजीव जोशी..... मिनजानिब अपीलान्त व
.....श्री —अनुपस्थित—..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश
होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्त बेरून मयाद व सारहीन होने से
खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक
20-12-2011 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रूपये.....
Xअदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख24..... माह ...01..... 2018
को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
..स्टाम्प वकालत नामा...					
2. इजराय हुक्मनामा					
3. वकील फीस बाबत					
मीजान					
...					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री चतरा पिता मावा जी डांगी बनाम श्री पेमा पिता कन्नाजी डांगी
निवासी बाण्डी मगरी निवासी बाण्डी मगरी तहसील
तहसील गिर्वा गिर्वा जिला उदयपुर
जिला उदयपुर अन्य-1 व सरकार

अपील नं० 88/2016 बनाराजगी डिगरी अदालत..... उपखण्ड अधिकारी
..... गिर्वा मुकाम मुखर्षे.....13.....माह.....06..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख02..... माह01..... सन् 2017..... रूबरू.....
पक्षकारान व हाजरी ...श्री भीमराज पटे..... मिनजानिब अपीलान्ट व
श्री प्रकाश पालीवाल रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म
हुआ कि हस्ब राजीनामा वाद प्रारम्भिक डिक्री घोषणा व विभाजन का किया जाता
है। तथा तदनुसार ही पक्षकारान के शामलाती आराजीयात का नियमानुसार हस्ब
राजीनामा विभाजन कर प्रकरण में नियमानुसार अंतिम डिक्री पारित करने को
प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किया जाता है। राजीनामा डिक्री का
अभिन्न अंग रहेगा।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रूपये.....
. Xअदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा
करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख02..... माह ...01..... 2017
को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू०	पै०	रेसपोन्डेन्ट	रू०	रू०
1. स्टाम्प अपील					
..स्टाम्प वकालत नामा....					
2. इजराय हुक्मनामा					
3. वकील फीस बाबत					
मीजान					
...					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के
जरिये दिलाया गया हो।

